



छावनी परिषद् बकलोह के सभी नागरिकों को यह सूचित किया जाता है कि छावनी बकलोह कार्यालय में कानूनी वारिस प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑनलाइन छावनी परिषद् बकलोह की वेब साइट [www.cbbakloh.org.in](http://www.cbbakloh.org.in) पर प्रार्थना पत्र जारी कर सकते हैं। सभी नागरिकों से आवेदन है कि कानूनी वारिस प्रमाण पत्र लेने हेतु नीचे दिए निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करवाएं :-

1. आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया प्रार्थना पत्र |
2. आवेदक द्वारा व्यान हलफी जमा करवाएं |
3. छावनी उपाध्यक्ष/ छावनी निर्वाचित सदस्य की रिपोर्ट |
4. आवेदक का आधार कार्ड की प्रति |

छावनी परिषद् कार्यालय, बकलोह

 <p>Ministry of Defence Government of India</p>	<p>छावनी परिषद् बकलोह बकलोह केंट जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश 176301</p>	 <p>छावनी परिषद् बकलोह</p>
---	---	--

**प्रार्थना पत्र**

दिनांक \_\_\_\_\_

सेवा में

मुख्य अधिशासी अधिकारी  
बकलोह छावनी

विषय :- कानूनी वारिस प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र |



महोदय/महोदया जी

हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबाइल न0

 <p>Ministry of Defence Government of India</p>	<p>छावनी परिषद् बकलोह बकलोह केंद्र जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश 176301</p>	 <p>छावनी परिषद् बकलोह</p>
---	---	--

छावनी उपाध्यक्ष/ छावनी निर्वाचित सदस्य की रिपोर्ट

दिनांक

हस्ताक्षर/मोहर